भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1328

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय क्रेच योजना

1328. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) राष्ट्रीय क्रेच योजना (एनसीएस) के शुभारंभ के बाद से सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां आई हैं और अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;
(ख) योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एनसीएस की शुरूआत के बाद से इसके कामकाज का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(घ) देश के असंगठित क्षेत्रों में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है जिनके लिए आज की तिथि में क्रेच सुविधाएं उपलब्ध हैं;
(ङ) क्या आंगनवाड़ी केंद्रों को डे केयर - सह - क्रेच में बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) क्या डे केयर सेंटरों के लिए निधि जारी करने के संबंध में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (च): महिला और बाल विकास मंत्रालय शिशु गृह सेवाएं प्रदान करने के लिए 01.01.2017 से 31.03.2022 तक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पूर्ववर्ती 'राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (एनसीएस)' कार्यान्वित कर रहा था । इस

स्कीम के भाग के रूप में, स्टैंड-अलोन शिशु गृह कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित किए जा रहे थे।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि अधिकांश राज्यों ने इस बात पर बल दिया है कि वे अलग स्टैंड-अलोन शिशुगृह के बजाय आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (एडब्ल्यूसीसी) चलाना पसंद करते हैं क्योंकि अतिरिक्त स्कीम के कार्यान्वयन के कारण उनका वित्तीय, मानव संसाधन और प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। तदनुसार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने मिशन शक्ति संबंधी व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के दौरान सिफारिश की थी कि शिशुगृहों का निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ विलय कर दिया जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में चलाया जाए।

तदनुसार, मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के तहत पालना उप-स्कीम शुरू की।

पालना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें इस स्कीम की दिन-प्रतिदिन बेहतर निगरानी और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा इसे केंद्र और राज्य सरकारों बीच 60:40 के वित्त पोषण अनुपात और उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में 90:10 के वित्त पोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित किया जाता है । विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करती है।

आंगनवाड़ी केंद्र दुनिया के सबसे बड़े बाल देखरेख संस्थान हैं जो अंतिम छोर तक देखरेख सुविधाओं का वितरण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को आवश्यक देखरेख और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं । अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह के माध्यम से बाल देखरेख सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखरेख सहायता सुनिश्चित करेगा तथा सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा। आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिशुगृह सुविधा, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास की निगरानी करना, उनका टीकाकरण करना, उन्हें शिक्षा आदि प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत माताओं सहित सभी

माताओं को शिशुगृह सुविधाएं उनकी रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जानी होती हैं।

शिशुगृहों की स्थापना और प्रचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त होते हैं जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपने तदनुरूपी हिस्से का अंशदान करने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 5631 आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 345 आंगनवाड़ी केंद्र महाराष्ट्र राज्य के लिए तथा 100 आंगनवाड़ी केंद्र तमिलनाडु राज्य के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

*****